



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 02.11.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 01/02.11.2024 की रात्रि को थाना बबेरु पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । गौरतलब हो कि रात्रि में थाना बबेरु पुलिस को जरिये फोन ग्राम करिंगा में एक व्यक्ति द्वारा लड़ाई झगड़ा करने व उसके पास तमंचा होने की सूचना मिली थी । सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ है । इस सम्बन्ध में थाना बबेरु पर अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी-

➤ 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. तर्जन उर्फ सतेन्द्र पुत्र सुदास निवासी करिंगा थाना बबेरु जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु0अ0सं0 204/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बबेरु जनपद बांदा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री आशीष यादव
2. कां0 विवेकानन्द

